लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल
दूरभाष: 0755–2583650, फैक्सः 2583651, ई–मेलः coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/समन्वय/बी/2018/ 71 भोपाल, दिनांक 27-4-2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 23.04.2018 का कार्यवाही विवरण बावत्।

विषयान्तर्गत दिनांक 23.04.2018 को आयोजित का वीडियो कान्फ्रेसिंग कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(अंजु पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा0क्रमांक/समन्वय/बी/2018/ 72 भोपाल, दिनांक 27-4-2018

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

दिनांक 23.04.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस का कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.04.2018 को अपरान्ह 4:00 बजे मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के एन.आई.सी. कक्ष क्रमांक–66 में वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की गई । अपर परियोजना संचालक, आर.एम.एस.ए. की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेस की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। वीडियो कान्फ्रेंस में संचालनालय, लोक शिक्षण के अधिकारीगण, राज्य शिक्षा केन्द्र के प्रभारी अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। ऐजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा निम्नानुसार की गईः–

- अपर परियोजना संचालक द्वारा समीक्षा प्रारम्भ करते हुए प्रदेश के समस्त जिलों में सायकिल वितरण की स्थिति पर गहन चर्चा की गई।
- वर्ष 2016–17 में शेष पात्र छात्रों को सायकिल वितरण पर जिलेवार समीक्षा की गई। सायकिलों का चैसिस नम्बर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। कक्षा 9वीं के छात्रों हेतु 3,259 सायकिलों का वितरण नहीं किया गया है। जिला अनूपपुर में 716 सायकिलों के वितरण की प्रविष्टि नहीं की गई दो दिवस में प्रविष्टि कराने के निर्देश दिए गए। जिला भिण्ड में 614 एवं कक्षा 6वीं की 3 सायकिलों की प्रविष्टि शेष है। सभी जिला परियोजना समन्वयकों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को दो दिवस में पोर्टल पर प्रविष्टि किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए। मंडला जिले में 553, मुरैना 228, सतना 182 सायकिले अवितरित हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सतना द्वारा 182 सायकिलें अतिरिक्त होना बताया गया जिन्हें 2016–17 में पोर्टल पर डिलीट करने के निर्देश दिए गए। रीवा में 335 सायकिल 6वीं एवं 164 सायकिल 9वीं कक्षा के छात्रों को पेंडिंग हैं। इसी प्रकार प्रदेश के सभी जिलों में जिलेवार अवितरित सायकिलों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। साथ ही माड्यूल खुला है जिस पर सायकिलों का चैसिस नम्बर एवं अपात्र करने संबंधी जानकारी की प्रविष्टि दो दिवस में किए जाने के निर्देश दिए गए।
- वर्ष 2017–18 में पोर्टल पर पात्र/अपात्र बच्चों की जानकारी 2–4 दिवस में गम्भीरतापूर्वक कार्य करते हुए जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देश दिए गए। कक्षा 9वीं में 12000 एवं कक्षा 6वीं में 9842 सायकिलों की जानकारी में अभी तक कोई

जानकारी अपलोड नहीं है। कृपया तत्काल जानकारी अपलोड करें। जिलेवार समीक्षा करते हुए जिला मुरैना में 725 कक्षा 9वीं एवं 520 कक्षा 6वीं की सायकिलों के सत्यापन एवं वितरण की जानकारी अपलोड करने हेतु निर्देश दिए गए। धार जिले में 1086 एवं 412 सायकिलों का सत्यापन कार्य नहीं किया गया। कृपया दो दिवस में उक्त कार्य करें। बालाघाट में 504 एवं 412 सायकिलों में सेमविलेज के छात्रों संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है इस हेतु श्री निशिकांत जोशी से सम्पर्क कर समस्या निराकरण कराने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला परियोजना समन्वयकों को 2–3 दिवस में सायकिलों का सत्यापन कर पोर्टल पर प्रविष्टि के निर्देश दिए गए। सागर संभाग में अतिरिक्त सायकिलें पहुंची हैं उन्हें सुरक्षित भण्डारण करने के निर्देश दिए गए। जिला सीधी में 762 सायकिलों को रिजेक्ट करना है इस संबंध में श्री निशिकांत जोशी को निराकरण हेतु निर्देश दिए गए।

- जिलों में प्राप्त सायकिलों की प्रविष्टि नहीं होने से पोर्टल पर गलत आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं कृपया सभी जिला शिक्षा अधिकारी प्राप्त सायकिलों की प्रविष्टि एवं वितरित तथा शेष सायकिलों की प्रविष्टि तत्काल करायें। जिला अलीराजपुर, अनूपपुर, धार, बालाघाट, दमोह, मुरैना आदि जिलों मे सायकिल प्राप्ति की प्रविष्टि नहीं की गई है तत्काल करायें।
- जिन जिलों में पात्र छात्रों को सायकिल प्राप्त नहीं हो रही है और उनके द्वारा सी. एम.हेल्पलाईन में प्रकरण दर्ज कराया है ऐसे प्रकरणों में कारण सहित स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर तत्काल भेजा जाना सुनिश्चित करें जिससे पात्र बच्चों को सायकिल प्रदान की जा सके।
- सायकिलों की प्राप्ति एवं उनके वितरण में कोई कठिनाई आ रही है तो अवगत करायें। इस संबंध में इन्दौर संभाग में जिला इन्दौर एवं झाबुआ में असेंम्बिल सायकिलों का लघु उद्योग निगम के अधिकारियों द्वारा सत्यापन नहीं करने से समस्या उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में लघु उद्योग निगम से चर्चा की जा रही है।
- एस.डी.एम.आई.एस डाटा संकलन जिला अशोकनगर, बालाघाट, बुरहानपुर, छिन्दबाड़ा, दतिया, हरदा, होशंगाबाद, खरगोन, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच,

पन्ना, रीवा सतना, सिवनी, शहडोल,सागर एवं उमरिया द्वारा अच्छी प्रगति की है आप सभी को बधाई। जिला भिंड, ग्वालियर, देवास, रतलाम, इन्दौर, धार, बड़वानी, राजगढ़, कटनी, सीधी और सिंगरौली जिलों में एस.डी.एम.आई.एस.डाटा एण्ट्री का कार्य धीमी गति से चल रहा है कृपया शीघ्र एन्ट्री करायें। शेष 18 जिलों द्वारा निजी स्कूलों के लिए एस.डी.एम.आई.एस.के प्री–फिल्ड प्रपत्र जेनरेट करने की प्रगति भी काफी धीमी चल रही है कृपया प्रपत्र शीघ्र जेनरेट करायें।

- शासकीय प्राथमिक / माध्यमिक शाला भवनों की मरम्मत एवं पुताई का कार्य वार्षिक रख–रखाव हेतु उपलब्ध बंटन से शाला भवन की सफाई–पुताई आदि कार्य 15 मई के पूर्व व्यापक अभियान के तहत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- सहायक संचालक विद्या द्वारा सी.सी.प्रशिक्षण 23.04.2018 से संभागवार प्रारम्भ हो गया है की जानकारी समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदान की गई। संभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अनेक जिलों द्वारा पोर्टल पर जानकारी की प्रविष्टि नहीं की गई है जिलेवार / विकासखंड वार समीक्षा की गई और निर्देशित किया गया जानकारी की प्रविष्टी तत्काल करायें।
- अशासकीय विद्यालयों के मान्यता के प्रकरणों के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा संयुक्त संचालक को प्रेषित नहीं किए गए हैं। कृपया तत्काल प्रेषित करते हुए प्रकरणों का निराकरण करायें।
- संयुक्त संचालक, शिक्षाकर्मी द्वारा अंतर निकाय संविलियन के प्रकरणों पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापन की समीक्षा की गई। जिला भोपाल, दतिया, भिण्ड, ग्वालियर, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सतना, शाजापुर आदि ऐसे जिले हैं जिनमें अधिक संख्या में सत्यापन कार्य नहीं किया गया है। कृपया इन सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त कार्य 3 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा प्रदेश के अनेक जिलों में भी कम संख्या में आवेदनों के सत्यापन का कार्य शेष है उन जिलों को भी सत्यापन कार्य 2 दिवस में कराये जाने के निर्देश दिए गए।
- सहायक संचालक विधि द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की गई । समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को अनुदान प्राप्त अमले को 5वें वेतनमान के भुगतान के संबंध में किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने संबंधी उपयोगिता

प्रमाण–पत्र नहीं भेजा गया है सिर्फ 5 जिलों से जानकारी प्राप्त हुई है। कृपया समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र भेजें। वर्ष 2017–18 हेतु मांग पत्र भी तत्काल प्रस्तुत करें। अनुदान के न्यायालयीन प्रकरणों में रिट् अपील के प्रस्ताव एकल नस्ती के माध्यम से तत्काल प्रेषित करें। अनेक जिलों द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत् सहायक शिक्षक विज्ञान से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है कृपया जानकारी अविलंब प्रस्तुत करें। क्रमोन्नति के प्रकरणों की जानकारी एकल नस्ती के माध्यम से उपलब्ध करायें।

- नियुक्ति दिनांक से नियमित वेतनमान के प्रकरणों में कृपया समस्त संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ठ एवं जिला शिक्षा अधिकारी तत्परता से निराकरण करायें।
- उप संचालक, स्था–03 द्वारा सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही गई जो अद्यतन अप्राप्त है। कृपया वांछित जानकारी तत्काल उपलब्ध करायें। इसी प्रकार उच्च श्रेणी शिक्षकों की जानकारी भी वरिष्ठता सूची अनुसार प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए। जिलों में कार्यरत् शिक्षकों की वेतन निर्धारण संबंधी वसूली हेतु सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व ही रिकवरी संबंधी कार्यवाही गम्भीरता पूर्वक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(अंजू पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश